# भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
## Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. / सतर्कता / 154 / 12 / 925 दिनांक 11.05.2012

## परिपत्र

**विषयः सामान/उपकरणों आदि के स्वीकार/अस्वीकृत करने में असामान्य देरी।**

एक इकाई में काफी समय से बकाया भुगतान की शिकायत की जांच के दौरान उपकरण को अस्वीकार करने में अनावश्यक/अन्यायोचित तथा असामान्य देरी पाई गई। सामान/उपकरणों आदि की स्वीकृति/अस्वीकृति में इस प्रकार की देरी, संबंधित प्राधिकारियों की चूक है तथा सक्षम प्राधिकारी ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया है। यह प्रापण मैनुअल-संस्करण 1.0, 2011 के खंड 11.4 का उल्लंघन है तथा इसमें सतर्कता दृष्टिकोण अपेक्षित है।

2. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि भविष्य में सभी प्रापणों/तथा इससे संबंधित उपयुक्तता, भुगतान/कटौती आदि संबंधी निर्णयों में कानूनी परेशानियों से बचने तथा अपने संगठन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिना किसी असामान्य देरी के उचित कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए।

3. इन निर्देशों का ध्यान रखें तथा सभी इनका कडाई से अनुसरण करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निदेशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाईट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11/05/12

(एस.एस.बालानी)
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी

**मुख्य महाप्रबंधक, (भा.स.ट., मुंबई)**
**सभी महाप्रबंधक,**
टकसाल (भासट-मुंबई को छोडकर)/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।

**प्रतिलिपिः**

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी।
2. निदेशक (तक)/निदेशक (मा.सं.)/मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रभारी)।
3. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.)/सभी उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।
4. उप प्रबंधक (रा.भा.)।
5. सभी सतर्कता अधिकारी (निगम मुख्यालय तथा इकाईयां)।
6. सूचना पटल।